

4.2.18

पत्रावली आठ पेस दुई वसीठ पसकार उपर
है रिपोर्ट नहीतदार जाल। साठ फाठ सी.गर्व
वसीठ डायी को सुना गया। वसीठ डायी डारा
जाठ फा एवें मौका रिपोर्ट तया अवल सफार
दिठ 8.4.16 को दोहरा तए जाठ फा का
खीकार कने के कयन किया विडल
अधिवक्ता डायी का कसन है, कि साठ पेचासठ
की उस पतर वसीठ नही। अ डायी वर्षा स

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अपने स्वाम्य पर श्रेयवत् काबिल हैं, किन्तु
 वैदयमेरु विचार द्वारा जमीनी की कृषि की गत
 पण्ड नवम् १९२५ में किया गया था
 बाद वहस फायदी का आधोपार गत
 मनक अवलोकन किया गया जमीनी फ की
 कर्म, अंशित लक्ष्य, वाचिकत अत्रुली स,
 कृषियों का प्रवास, मौका रिपोर्ट एवं
 पक्षकारान् द्वारा एकल में प्रस्तुत दस्तवेकाल
 आदि का सम्मक विचार किया गया
 जमीनी के खाल में दम कृषि २५.१०.२२६
 मोर तदक सुदा कृषि २३२ कोना ही साविक
 उदर ६ १२५ किया गया था जमीनी श्रेयवत्
 रूपन स्वाम्य पर काबिल है, इस लक्ष्य की
 पुष्टि होगी है

प्रवास साकार में जमीनी के अग्रना
 फ की स्वीकार किया गया है तथा
 रिपोर्ट भी जमीनी के कर्मों को लाइड
 करती है।

अतः एकल के गुणवगुण पर
 सम्मक विचार कर के उपान्त हम सह
 पाते हैं, कि जमीनी की दोस्त इ-प्रवेप
 मौक ६ इलत भाकर नवम् में गत
 स्वाम्य पर दयाया गया है किन्तु
 उक्त किया जाना उचित पाया
 जाता है।

अतः जमीनी पर जमीनी आदेशक
 रूप से स्वीकार किया जाकर सह
 आदेश दिए जाते हैं, कि जमीनी के
 नाम ग्राम चतपुरा के खण्ड नं०

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

५२६ (फवा) ०.३२ हेक्टर की ग्राम पेचायत
 लीमिटेड की नकल की जाये। तमाम
 खेत के ५३२ (फवा) ०.६८ हेक्टर में से ५३२
 लाल की ०.३२ हेक्टर जमीन की नकल
 की जाये। तमाम खेतों में अमर के मा
 पाले (नकल) में तामील की जाये।
 अमर ३२६ की ०.३२ हेक्टर का बाकी
 हिस्सा लाल ग्राम पेचायत लीमिटेड की
 नकल पर लया ग्राम पेचायत की ख. न.
 ५३२ में से ०.३२ हे. (फवा) बाराही चलीम की
 जमीन की नकल पर देनी किया जाये।
 चलीम का न. दि. ५-०-१८ को मर
 डारा जिलाया नकल विहण न्यायानम
 में लुनाया गया।

कुछ
 कुला गोपाल जोषन
 P.A.S.
 उपखण्ड अधिकारी
 लालबागड़ी